संख्या-02/2017/276/38-3-2017/64/2016

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय:-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत पुनर्विनियोग माध्यम से धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-141/बजट/पुनर्विनियोग/2016-2017, दिनांक 02 मार्च, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत निम्नलिखित तालिका के क्रमांक-2 में उल्लिखित मदों मे क्रमांक-3 के अनुसार प्रावधानित बजट के सापेक्ष क्रमांक-6 में उल्लिखित धनराशियों की कुल रू0 20,47000.00 (रूपये बीस लाख सैतालीस हजार मात्र) की हो रही बचतों को लेखाशीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 विकास आयुक्त (मुख्यालय)-15 गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त विभाग के आर0ई0 संख्या-758/यू0ओ0/ई-2-185/10-2017 दिनांक 30 मार्च, 2017 के अनुसार एतद्वारा व्यय की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र0	मानक मद	प्राविधानित बजट	प्राविधानित बजट के सापेक्ष शासन से अवमुक्त धनराशि	प्राविधानित बजट के सापेक्ष शासन स्तर पर अवमुक्ति हेतु अवशेष धनराशि	प्राविधानित बजट के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-विकास आयुक्त (मुख्यालय)-14 मोटर गाडियों का क्रय	1700	1542	158	158
2	अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-	1300		1300	500

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय--14 मोटर गाडियों का क्रय				
3	अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय-14 मोटर गाडियों का क्रय	6500	2899	3601	1000
4	अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत "लेखाशीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान (ब्लाक बजट)-14 मोटर गाडियों का क्रय	10128	9739	389	389
	योग:-	19628	14180	5448	2047

2- इस संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायगा।

3- उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अंतर्गत उपरोक्त प्रस्तर-2 की तालिका में उल्लिखित लेखाशीर्षकों के अनुसार सम्बन्धित मानक मदों से तालिका के बिन्दु संख्या-6 में उल्लिखित धनराशि के अनुसार आहरित किया जायगा एवं "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 विकास आयुक्त (मुख्यालय)-15 गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद के नामें डाला जायगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय आदेश संख्या-यू0ओ0/ई-2-185/10-2017 दिनांक 30 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या-02/2017/276(1)/38-3-2017-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, द्वारा आयुक्त ग्राम्य विकास।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुशील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।